

अरावली रेंज में खनन

प्रलिस के लयः

[अरावली पारसथतलकल तंतर, भारतीय वन सरवेकषण \(FSI\), गुरेट इंडयलन बसटरड, सरवोचच न्यायालय, थार रेगसलतान](#)

मेन्स के लयः

अरावली रेंज से संबंघतल प्रमुख तथ्य, अरावली रेंज में खनन से संबंघतल प्रमुख चतलएँ।

[सुरोतः इंडयलन एक्सप्रेस](#)

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [सरवोचच न्यायालय](#) ने [भारतीय वन सरवेकषण \(Forest Survey of India-FSI\)](#) की एक रपोरट के आधार पर [अरावली रेंज](#) में नए खनन लाइसेंस जारी करने और मौजूदा खनन लाइसेंसों के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है।

- पछिले एक दशक में वैध खनन से हरयलणा के राजस्व में महत्त्वपूर्ण वृद्धल (वर्ष 2013-14 में 5.15 करोड रुपए से वर्ष 2023-24 में 363.5 करोड रुपए) हुई है।

अरावली रेंज के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

परचयः

- अरावली वशल्व के सबसे प्राचीनतम वलतल अवशषलट पर्वतों में से एक है, जो मुख्य रूप से वलतल चट्टानों से बना है। यह गठन प्रोटोरोजोइक युग (2500-541 मलयलन वर्ष पूर्व) के दौरान टेक्टोनलक प्लेटों के अभसरण के परणलमस्वरूप हुआ।
- भारतीय वन सरवेकषण (FSI) की रपोरट में अरावली रेंज की पहाडयों को औरउनके नचले भागों के नज़दीक एक समान 100 मीटर चौडा बफर ज़ोन शलमल करने के रूप में परभाषतल कयल गया है।
- इसकी ऊँचाई 300 से 900 मीटर है। राजस्थान में सांभर सरलही रेंज और सांभर खेतडी रेंज दो प्राथमलक श्रेणयलँ हैं जो पर्वतों का नरलमाण करती हैं।
- माउंट आबू पर गुरु शखलर, [अरावली रेंज](#) (1,722 मीटर) की सबसे ऊँची चोटी है।
- इसके आस-पास के प्रमुख जनजातीय समुदायों में भील, भील-मीणा, मीना, गरासयल और अन्य शलमल हैं।
- सरवोचच न्यायालय ने वर्ष 2009 में हरयलणा के फरीदाबाद, गुणगाँव (अब गुरुग्राम) और नूँह ज़ललों की अरावली रेंज में खनन पर पूर्ण प्रतर्बलध लगाने का आदेश दयल।

महत्त्वः

- जैवववलधलता से समृद्धः
 - यह रेंज पौधों की 300 स्थानलक प्रजातयों, 120 पक्षी प्रजातयों तथा सयलर और नेवले जैसे कई वशलषलट जलवों को आवास प्रदान करती है।
- मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाता हैः
 - अरावली रेंज पूर्व में उपजाऊ मैदानों और पश्चलम में थार रेगसलतान के मध्य एक अवरोध के रूप में कार्य करती है।
 - अरावली रेंज में अत्यधकल खनन थार रेगसलतान के वसलतार से जुडा हुआ है।
 - मथुरा और आगरा में लोएस (मरुस्थलीय पवनों द्वारा उडा कर लाई तलछट का जमाव) की उपस्थतलल इस बात का संकेत है कल अरावली पहाडयों द्वारा नरलमतल पारसथतलकल अवरोध के कमज़ोर पड़ने से मरुस्थल का वसलतार हो रहा है।
- जलवायु पर प्रभावः
 - अरावली रेंज उत्तर पश्चलम भारत की जलवायु को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमलकल नभाती है। मानसून ऋतु के दौरान, यह रेंज जलवायु अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो नमीयुक्त दक्षणल-पश्चलमी पवनों को शलमल और नैनीताल की ओर नरलदेशतल करते हैं।
 - परणलमस्वरूप, यह रेंज उप-हमललयी नदयों के पोषण में सहायक है और उत्तरी भारत के वशलल मैदानों में वर्षा को

बढ़ावा देती है।

- शीतकाल में यह उपजाऊ **जलोढ़ नदी घाटियों** को मध्य एशिया से आने वाली शीत पश्चिमी पवनों से सुरक्षित रखने में सहायक है।



अरावली पर्वत रेंज में खनन से संबंधित प्रमुख चर्चाएँ क्या हैं?

- पर्यावास का वनाश और जैवविविधता हानि:
 - खनन गतिविधियाँ **अरावली पारस्थितिकी** तंत्र को नष्ट करती हैं, जिससे तेंदुए, लकड़बग्घे और विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ जैसे **वन्यजीव वसिष्ठापति** हो जाते हैं।
 - इससे **खाद्य शृंखला** और **पारस्थितिकी संतुलन** बाधित होता है।
 - राजस्थान के पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन के कारण गंभीर रूप से **लुप्तप्राय** पक्षी प्रजाति **ग्रेट इंडियन बसटरड** के वास-स्थानों के लिये जोखिम उत्पन्न हो गया है।
- जल की कमी और वायु प्रदूषण:
 - अरावली रेंज एक प्राकृतिक **जल भंडार** के रूप में कार्य करती है। खनन से प्राकृतिक जल प्रवाह और टेबल रीचार्ज बाधित होता है, जिसके परिणामस्वरूप **नीचे की ओर जल प्रवाह कम हो जाता है** और यह कृषि तथा मानव आबादी को प्रभावित करता है।
 - वर्ष 2018 के एक शोध-पत्र में हरियाणा में खनन के कारण स्प्रिंग रीचार्ज में गिरावट का उल्लेख किया गया है।
 - खनन गतिविधियों के कारण **धूल में वृद्धि** होती है और सलिका जैसे **हानिकारक प्रदूषक मुक्त होते** हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा आस-पास के समुदायों में श्वसन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण:
 - खनन से **वनस्पति आवरण नष्ट** हो जाता है, जिससे भूमि का क्षरण होता है।
 - हवा और वर्षा उपजाऊ ऊपरी मृदा को बहा ले जाती है, जिससे मरुस्थलीकरण होता है।
 - **सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE)** के एक अध्ययन से पता चला है कि 2001 और 2016 के बीच हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र में 37% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण संभवतः **खनन गतिविधियाँ** हैं।

आगे की राह

- **सख्त नियम बनाने** तथा उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने से पर्यावरणीय क्षतिको कम करने में सहायता मिल सकती है।
 - **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme)** उद्योगों से धूल के उत्सर्जन पर सख्त नियमों को प्रोत्साहित करता है।
 - इसे खनन कार्यों पर भी लागू किया जा सकता है ताकि उनके लिये भी **धूल कम करने वाली तकनीकों (जैसे- जल छड़िकाव करना तथा संचयों/भंडारों को कवर करना)** को लागू करना अनिवार्य हो जाए।
- आस-पास के क्षेत्रों में खनन के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये **ग्रीन बॉल और ग्रीन मफलर (हरति क्षेत्रों)** जैसे अभिनव समाधानों का उपयोग किया जा सकता है।
 - **ग्रीन बॉल** ऊर्ध्वाधर संरचनाएँ होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पौधे या अन्य प्रकार की संबद्ध हरियाली होती है। ये मरुस्थलीकृत भूमि क्षेत्रों को पृथक् करने में सहायता कर सकती हैं।
 - **ग्रीन मफलर**, हरे पौधे लगाकर **ध्वनि प्रदूषण** को नियंत्रित करने का एक उपाय है।
- **दीर्घकालिक पारस्थितिकी क्षतिको कम करने के लिये** खनन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।
- **पर्यावरण-अनुकूल खनन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों** को अपनाने से खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।

प्रश्न: गॉडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में बहुत कम प्रतिशत योगदान है। चर्चा कीजिये। (2021)

